

तारीख हुकम

हुकम

12/11/20 अधिवक्ता उर्फी उप
 अधिवक्ता उर्फी ने अधिवक्ता संख्या 1 को डा. लबी देव
 तलवार/14/नोडियल पेश किया, सम्बन्धित कार्य को
 अधिवक्ता संख्या 2 ने डा. जयनाथ पेश किया प्रा
 सि. हो. पत्रावली प्रामुखा दिनांक 21/11/20 को पेश
 हो

84
 500 552

21/11/20

व्युत्पन्न उपस्थित।
 आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित
 अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 12/11/20 को पेश हो

सिडर
 उप खण्ड अधिकारी एवं उप
 खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

707
 02/12/21

17/11/20

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/उपस्थित
 अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तबा होकर पत्रावली दिनांक 12/11/20 को पेश हो

सिडर
 उप खण्ड अधिकारी एवं उप
 खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत

12/01/2021


अधिवक्ता उर्फी उप
 अधिवक्ता संख्या 01 को जारी नोटिस बाप ताम्रिल प्राप्त था. मि. हो
 अधिवक्ता संख्या 01 बाबत उपस्थित/ताम्रिल बाप-बाप आवाजे
 दिखाने जाने पर श्री अनुपदियाल रहने से इनके विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता संख्या 02 ने
 जमाना प्रार्थना पत्र पेश किया जा. सि. हो। पत्र अधिवक्ता
 उर्फी एवं अधिवक्ता संख्या 2 श्री गरी एवं क्षपायत की उर्फी
 अधिवक्ता मय उर्फी ने डा. पत्र अर्थात् चान 110/11
 123 म. मजलम अधिवक्ता 1956 के तहत विरुद्ध अधिवक्ता
 बाप बाप का देमा किया कि शरद जेपा गुप्त इन्डी चान
 451 संख्या 1.1550 के तहत विरुद्ध चाहे दोषम एवं चान.
 451/ संख्या 1.1550 के तहत की दिखत ही चान. 451 उर्फी
 एवं चान. 451/ मपुर्फी संख्या 01 की उर्फी अर्थात्
 दिखत से दो अलत एक दुसरे से सटे हुए है। उक्त
 दोनों के अलतों के प्राप्ति को लेकर मनभूयण व
 विवाद चला सा रहा है। उक्त अर्थात् की वेपारि की
 लेकर एवरीसवात अपुत के लपक आवेदन किया गया।
 जिसमें तल्लीसवात शेजत बाप पचाठी वरुण भागबाद
 ही प्रेसों की गई। पचाठी वरुण भागबाद ने मेके वर
 विवाद होना मेके वर वर दिखत पेश की। वर पचा
 प्रार्थना पत्र उक्त वर वर प्रेसों का नाम मेके के
 चान. 451 संख्या 1.1550 के तहत अर्थात् चा शीपका
 करवाने एवं मेके वर पचाठ गरी के अर्थात् मुयाम
 लगवाने के आदेश अर्थात् की इत्तबा की है

84


जहल अधीकता अधी एवं सपुर्ण तहसीलदार नुनी
गर्हि। उक्तुत जर्नल पठ मय त्रापय पठ एवं दलवेजत
का गलत प्रकृत मद्ययन किया गया हैप जहल अधी
अधी व सपुर्ण तहसीलदार पर जेर कट मनन किया
गया। वस्तुतः शरद मोंजा ग्राम रेन्डी के ख.न.
45। रकबा 1.1550 हेक्टर कियत जाही शोयम
मूमे का वस्तु उभयपक्षकारनों के सीमोन कबजा
जाकर उर्द मोंजा शिपार्दि परिवेदन यामासय
सजा जे उक्तुत करने हेतु तहसीलदार शोजह
को आरोपित किया जाना उचित समझते है।

आदेश :-

अतः अधी द्वारा उक्तुत जर्नल पठ प्रकृत
धारा 110, 111, 128 मू. राजल अधिनियम 1956
का शर्काट शोयम देने से शर्काट किया जात है
एवं तहसीलदार शोजह को आरोपित किया जात
है कि शरद मोंजा ग्राम रेन्डी के ख.न. 45।
रकबा 1.1550 हेक्टर मूमे की वस्तु उभयपक्ष
मोंजे पर वैप्रदिश कर सीमोन कबजाये जाने एवं
मूयम लगानकर मोंजे पर पत्यर गरी करने हेतु
तहसीलदार शोजह के नेतृत्व में सम्बन्धित मू. म.
निरीक्षक, पयसी एवं लड अन्य पयसी की संयुक्त
दिएर का गहन करे। निर्णय की उरि तहसीलदार
शोजह को शोरी जाकर वास्तव मंगवदि जाये।
पयसी केगल मुकाद मुकाद नमूने से कर है।
जाद तकमिल जहल थावेड परत / लेयम कबजा
जमा है।


(दौलतसाम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी दोमत

निर्णय जाद दिनांक 12/01/2021 को मरे इस
विषयवा जाकर मुले यामासय में मुजाया भवत।


(दौलतसाम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी दोमत